

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 16/7/2014

आदेश

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

यतः श्री रामरतन मीणा के आवेदन दिनांक 20/02/2014, जो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आवेदन के निस्तारण के लिए गृह मंत्रालय को अंतरित की गई थी, जो संबंधित जन सूचना अधिकारी को दिनांक 07.04.2014 को प्राप्त हुई है, में पदम पुरस्कारों एवं अन्य विषयों से संबंधित सूचनाएँ माँगी गई थी।

2. यतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को संबंधित सूचना समसंख्यक पत्र दिनांक 09.05.2014 द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी।

3. यतः श्री मीणा ने अपने पत्र दिनांक 17.04.2014 (दिनांक 10.06.2014 को प्राप्त) में यह अपील की है कि उन्हे उनके आवेदन के आलोक में संबंधित जन सूचना अधिकारी से कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

4. श्री मीणा द्वारा दी गई अपील का अवलोकन किया गया एवं यह पाया गया कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा विन्दुवार उत्तर आवेदक को उपलब्ध करा दी गई है। तथापि उपरोक्त प्रत्युत्तर की प्रति संलग्न है।

5. तदनुसार इस अपील का निस्तारण किया जाता है। इस अपील का निस्तारण कार्य की अधिकता के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (6) के अंतर्गत 30 दिनों के बाद परन्तु 45 दिनों के अन्दर किया जा रहा है।


संलग्नक—उपरोक्त

16/7/14  
सतपाल चौहान

(सतपाल चौहान)  
संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
एवं अपीलीय अधिकारी  
दुरभाष: 23093178

o/c

श्री रामरतन मीणा,  
पुत्र श्री रामपाल मीणा,  
एस 57, नियर कामधेनु शॉपिंग सेंटर,  
शास्त्री नगर, जयपुर,  
राजस्थान—302016।



COPY TO: SC(IT)

संख्या 24/203/2014-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक ७/५/ 2014

सेवा में,

श्री रामरत्न गीणा,  
पुत्र श्री रामपाल गीणा,  
एस 57, नियर कामधेनू शॉपिंग सेंटर,  
शास्त्री नगर, जयपुर,  
राजस्थान-302016।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आवेदन दिनांक 20/02/2014, जो राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आवेदन के नियतारण के लिए गृह मंत्रालय को अंतरित की गई है, जो अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 07.04.2014 को प्राप्त हुई है, के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्न है:


क्रम संख्या	प्रत्युत्तर
1	ऐसी कोई समेकित सूची मंत्रालय द्वारा नहीं बनाई जाती है।
2	किसी व्यक्ति को पदम पुरस्कार नहीं मिलने का कोई कारण पदम पुरस्कार समिति द्वारा अंकित किया जाता है।
3	संबंधित सूचना संलग्न है।
4	इस संबंध में कोई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है।
5	इस संबंध में कोई सूचना अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध नहीं है।

2. इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

मे. ३ अप्रैल  
(श्यामला मोहन)

निदेशक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

dc.



CR - 262956 / अप्रैल 2016/14

07/04

मानव संसाधन विभाग

(296)

सं. ए-43020/01/2016-आर ई अर्ड

भारत सरकार

सूचना कानून

क्रमांक

दिनांक : 29/3/2016

कार्यालय संपत्ति

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत शासीकारी सूचना का मरम्मत आदेता।

उपरोक्त विषय का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना कुदात आदेता के अनुरूप है जो शासीकारी सूचना का मरम्मत आदेता के दिनांक 20/02/2016 के अनुरूप (कार्यालय के अधिकारी सूचना का मरम्मत आदेता के दिनांक 19/3/2016 ने इन अधिकारों को अनुरूप कर दिया है) अनुरूप जिया जाता है कि उन नियमों का संबंधित है/नियम सम संबंध रखती है। यह अनुरूप जिया जाता है कि उन नियमों का संबंध जिन्हीं प्रकार अनुरूप हैं कि सूचना का अधिकारी द्वारा जारी की जाती है तो आदेता को सूचित करने हुए उपरोक्त को संबंधित आदेता को अधिकारी को अधिकारी/अनुरूप कर दिया जाये।

2. आदेता ने 100 का का निर्धारित शुल्क दिनांक 1/1/2013 के अनुरूप संबंधित सूचना का मरम्मत आदेता कर दिया है (सूचना का मरम्मत आदेता के अनुरूप संबंधित सूचना का मरम्मत आदेता है)।

मुझमें  
(राज. संग्रह)

मुकर चिंद, भारत सरकार

संग्रह में

निवेशक (एक लाख)

ग्रुप प्राप्ति

नाथ ठोका

नडि दिल्ली

प्रति सूचनाएँ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/स्त्री रामवत अग्रवाल

उग्रगढ़ी रामवत अग्रवाल

रास-57, निवार कामवारू शापिंग सेंटर,

शास्त्रीनगर, जयपुर, राजस्थान - 302016


(उपरोक्त अनुरूप है कि इस नामले ने अलिंगित सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त निवार के नामांक लोक सूचना अधिकारी/लोक अधिकारी से संपर्क करें।)

2/4/16

2/4/16

2/4/16

2/4/16  
मा. 8



1599/RIC/2014  
19/02/14

सूचना  
का अधिकार

2362/आर.टी.आई./02/13-14

राष्ट्रपति सचिवालय

PRESIDENT'S SECRETARIAT

आर.टी.आई. अनुभाग

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004.

Rashtrapati Bhavan, New Delhi-110004.

25, फरवरी 2014

सेवा में,

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
गृह मंत्रालय  
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री रामरत्न मीणा का दिनांक 20.02.2014 का आवेदन पत्र दिनांक 25.02.2014 को प्राप्त हुआ है। वांछित सूचना आपके द्वारा धारित/आपके कृत्यों से निकट रूप से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन पत्र आपके कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने इसके लिए शुल्क के रूप में ₹ 10/- (रूपये दस मात्र) का भुगतान इस सचिवालय में कर दिया है।

अनुभाग अधिकारी,

सूचना का अधिकारी, अनुभाग,  
सूचना लाप, राष्ट्रपति भवन।

Ministry of Home Affairs भारतीय संघ सरकार
29 FEB 2014
केवल 31-सूचना अधिकारी
केवल 31-सूचना अधिकारी

भवदीय

21/2  
(सौरभ विजय)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री रामरत्न मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा  
एस-57, नियर कामधेनू शॉपिंग सेंटर  
शास्त्रीनगर, जयपुर, राजस्थान- 302016.

वांछित सूचना इस सचिवालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। अतः आपका पत्र संबंधित कार्यालय को हस्तांतरित किया जा रहा है। भविष्य में इससे संबंधित जानकारी के लिए उपरोक्त कार्यालय से सीधे संपर्क करें।

DIP (W)  
DIP

21/2  
RJD

21/2  
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सूचना चाहने के लिये आवेदन का प्रारूप/353/ FEB 2014  
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की 6(1) के अन्तर्गत)

प्रेषित:

लोक सूचना अधिकार/सहायक लोक सूचना अधिकारी  
कार्यालय  
(राष्ट्रीय सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत)  
प्रावसी संगठन, No. ३३६८/RTI/१५४  
दिनांक/पुस्तक: २५-२-१५  
लोक

Public Section of President's  
Secretariat

रामरत्न मीणा ८/० एमी रामपुरा मीणा  
इकाई निम्रलक्षण शाखा संख्या १२२  
शास्त्रीय संगठन - अमृपुर, राजस्थान Pin- ३०२०१६

1. आवेदक का धूस नाम
2. पता
3. सूचना की विशिष्टयां  
विभाग/कार्यालय का नाम जिससे  
सूचना उपबंधित है,  
सूचना की प्रकृति: लिखित एवं दस्तावेजी,  
अवधि

Public Section of President's  
Secretariat

लिखित  
कृति

चाही गयी सूचना का विवरण

तटष्ठ संलग्न है।

4. क्या फीस देने का सबूत संलग्न किया  
गया है?
1. आवेदन शुल्क रूपये 10 नकद या आई.पी.ओ. है।

रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क: विभाग द्वारा मांग करने पर जमा करवा दिया जावेगा।  
रूपये प्रति शुल्क विभाग द्वारा मांग करने पर जमा करवा दिया जावेगा।  
आप यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार से हैं, 10 रूपये की फीस देय नहीं है।

क्रमांक संख्या: ।

स्थान: — अमृपुर

दिनांक — २०/२/२०१५

B

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रथम अपील

सक्षम अपील अधिकारी का पदनामः—श्रीमान् सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग,  
जयपुर।

अपील संख्या: ..... /2011

अपीलार्थी का नाम व पता: रामरत्न मीणा ८/० श्री रामपाल मीणा  
८-५७ निपर काम्हेन शापिंग सेंटर  
शाही नगर - जयपुर (राज.)  
मो- ३०२०१६

बनाम्

कार्यालय के भारसाधक का पदनामः Public Section of president's  
Secretariat

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)

1. अपीलार्थी का नाम व पता: रामरत्न मीणा ८/० श्री रामपाल मीणा  
८-५७ निपर काम्हेन शापिंग सेंटर शाही नगर - जयपुर  
(राज.) मो- ३०२०१६:

2. चाही गई सूचना की विशेषताएः—

1. विभाग व कार्यालय का नाम जिससे सूचना संबंधित हैः—

ज्ञारापण बोर्ड रोड थाना नं १८ - हृषीपुर (कामठी)

2. सूचना की प्रकृति लिखित

3. सूचना के पूर्ण ब्यौरे: संभागी

3. ऐसे आदेश जिसके खिलाफ अपील की गई: ०७३५/ए/आर.टी.आई/०२/  
१३-१४ / No: A - २७०.११/२१४१/०६ - R.T.I.A (AA)

4. अपील के आधार १: ज्ञारापण बोर्ड रोड थाना नं १८ - हृषीपुर के ग्रामीण गाँवों  
में 'पटमी' और 'भगवानी' गाँवों के लिए लिखी आर.टी.आई की

2: 'कैलाश मानस' के 'पटमी' गाँव की उल्लंघनों में लिए  
गयी लिप्त दस्तऐवजों का क्या कारण था।

3: अनियम आर.टी.आई ग्रामीण 'पटमी' के लिए एकाई  
किमी तक ढंगीने के लिए लिये गए विभिन्न विकल्पों के बारे में ज्ञान की  
उनको पटमी (झाराई) से ज्ञान किया।

4: क्या कैली पाठि सा पदाधिकारी भद्रामीमी रामरामी माटोपा वा उन  
मुलाकाने करके उनके लाभ लेकर विचारके डस्टों वा कोहलीमान  
आपनी पापिकी के लिए उनके कानिप सामरी वा लोरिजन्य रसीदों  
पर घाप लगा दी था वह। यह गली ने नर्सराम के बाहर  
जोपी नहीं लगवाया था।

५ अक्टूबर २०१४ में भद्रामठीम लालूपुरि में पा. नी का नाम (A.N.P.)  
सोपान द्वारा उद्योग (राज्य) के प्रतिविधि द्वारा की गई।  
कारणों से नीचे लिखा गया।

संलग्न—




प्रार्थी/अपीलाण्ट

स्थान व दिनांकः— २०/१२/२०१४ उत्तर

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

फोन : 011-3342087 • टेलफैक्स : 011-3363105

**परियोग पत्र**



कमेटी/प्रकोष्ठ उद्दरा ट्रान्सरी

नाम जी राम रत्न मीठा

पदनाम

पिता का नाम जी

पता उपलब्ध नामांकन समाज में भवित्व के लिए उपलब्ध

मान्य २५/१०/२०१४ तक

राम रत्न मीठा  
कार्ड होल्डर के हस्ताक्षर



कमेटी कृत हस्ताक्षर

- : उद्देश्य एवं नियम :-

1. बांडोड मिन्नुनान की सहायता।
2. देश की संस्कृति तथा परम्परा के आधार पर भारत में विशुद्ध लोक-राष्ट्र का निर्माण।
3. विभिन्न जातियों तथा अन्यायियों की एक अवधिकारी समाज में समर्पित करना।
4. विभिन्न समाजों व धर्मों का विचार, प्रचार और पूजा की राष्ट्र-प्रमो के अनुकूल कर्तव्य लाने।
5. राष्ट्र-घटकों को उदात्त गुणों के आधार पर विचार, प्रचार और पूजा की राष्ट्र-प्रमो के अनुकूल व्यवस्था का प्रयत्न।
6. सादा जोवन व उच्च विचार तथा भारतीय नारीत्व को उदात्त प्राचीन आदर्शों को पुनर्जीवित कर उनकी उन्नात करना। लिंग-वरचाको गिराव की व्यवस्था।
7. हिन्दुस्तान की सीनिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक स्थल संशोधनात्मक आत्मनिर्भर बनाना।
8. सर्व प्रकार की सामाजिक असमता को दूर करना।
9. धर्म के विवरण में ग्रामीण अस्वाधिक असमता को दूर करना।
10. जो लोग हिन्दु धर्म को नहीं हनन करते तथा अन्य लोगों का हिन्दू समाज में स्वाहा करना।
11. गौदाया करना तथा गौवध वन्द करना।
12. हिन्दू को राष्ट्रभाषा तथा देवनामी को राष्ट्र-लिपि बनाना।
13. अन्तर्राष्ट्रीय गतिसूची तथा उन्नति के लिए हिन्दुस्तान के हित के अनुकूल मित्रता बढ़ाना।